19-9-19

आदेश

उभयपक्ष की वकालतन हाजिरी है।

वाद मिसिल आज प्रतिवादी पक्ष के लिखित कथन में संशोधन हेतु आदेश-6, नियम-17 cpc के अन्तर्गत आवेदन दिनांक 3-7-19 एवं वादी द्वारा दाखिल प्रत्युत्तर दिनांक 25-7-19 पर आदेश हेतु उपस्थापित किया गया।

प्रतिवादी पक्ष के विद्वान अधिवक्ता श्री आनन्द कुमार आवेदन दिनांक 3-7-19 प्रचालित करते हुए निवेदन करते हैं कि वादी द्वारा संशोधन के माध्यम से वादपत्र में चन्द संशोधन किए गए जिनका जवाब प्रतिवादी को देना आवश्यक है। लिखित कथन

IN THE Court of Munsif Cum JM 1st Class Bagaha

T.S - 5/17
T.S - 1435/17

आदेश
9-8-19

में कुछ आवश्यक तथ्यों का समावेश होना छूट गया है जो प्रभावी फैसले के लिए आवश्यक है। अतः लिखित कथन में आवेदन में दिए गए प्रस्तावित संशोधन को करने का आदेश प्रतिवादी को दिया जाए।

वादीपक्ष के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार प्रतिवादी के आवेदन दिनांक 3-7-19 का विरोध करते हुए कहते हैं कि प्रतिवादी का आवेदन पोषणीय नहीं है अवैध है तथा दुराशय से ~~ग्रसित~~ ग्रस्त है। प्रतिवादी एक नया मुकदमा बनाना चाहते हैं और इस प्रक्रम पर उन्हें ऐसे संशोधन लिखित कथन में करने की स्वतंत्रता नहीं है। प्रतिवादी को विवादित स्थल के विषय में जानकारी नहीं है, वह मुकदमे को लम्बा खींचने के उद्देश्य से लिखित कथन में संशोधन करना चाहते हैं। अतः उनके संशोधन आवेदन दिनांक 3-7-19 को खारिज किया जाए।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना, अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन के क्रम में दिनांक 13-6-19 के आदेश फलक का परिशीलन किया जिससे यह तथ्य परिलक्षित होता है कि वादी द्वारा वाद पत्र के मद संख्या -02 में वर्णित चौहद्दी के विषय में संशोधन आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार किया

Scanned by CamScanner

T.S-5/17
T.S-1435/17

लगातार
19-9-19

गया। प्रस्तुत वाद में अभी वादी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करना आरंभ नहीं किया गया है। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तावित संशोधन अंशतः वादी के द्वारा किए गए वाद पत्र के संशोधन के उत्तर में एवं अंशतः अन्य तथ्यों के लिखित कथन में समावेश से संबंधित है। जहाँ तक प्रतिवादी द्वारा प्रस्तावित संशोधन लिखित कथन में करने हेतु प्रार्थना का सम्बन्ध है, यह स्पष्ट है कि वाद में अभी साक्ष्य प्रारंभ नहीं हुआ है, प्रस्तावित संशोधन की प्रकृति सामान्य प्रतीत होती है। प्रस्तावित संशोधन द्वारा वाद की प्रकृति में परिवर्तन होता नहीं दिखाई पड़ता है। वाद अभी शैशवावस्था में है। लिखित कथन में संशोधन होने से वादी के दावे पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हुआ प्रतीत नहीं होता है। अतः ऐसी परिस्थिति में यह न्यायोचित प्रतीत होता है कि प्रतिवादी के प्रस्तावित संशोधन को न्यायहित में स्वीकार किया जाए। चूंकि वाद पर प्रस्तावित संशोधन से कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है, वादी के दावे पर कोई असर पड़ता प्रतीत नहीं होता है, वाद की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए न्यायहित में प्रतिवादी के संशोधन आवेदन दिनांक 3-7-19 को रुपये 200/- वाद खर्च पर स्वीकृत किया जाता है।

Scanned by CamScanner

IN THE COURT OF Munsif Cum JM Ist Class Bhojpur

T.S - 5/17

T.S - 1435/17

आदेश

19-9-19

प्रतिवादी को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश के 12 दिनों के भीतर वह लिखित कथन में आवेदन के अनुसार संशोधन करना सुनिश्चित करें। तदनुसार प्रतिवादी का आवेदन दिनांक 3-7-19 निष्पादित किया जाता है।

दिनांक 1-10-2019 वास्ते अग्रिम कार्यवाही।

मुंसिफ

Scanned by CamScanner